उपस्थित। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रकरण को आगे जेरकार रखना उचित नहीं समझता है। अतः पत्रावली अदम-हाजरी अदम-पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 15.3.22 को खुले इजलास सुनाया गया।